राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
- 6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No. – 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77,010 TPA) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP).</u>

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 18.21 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 389वीं दिनांक 09/08/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन—लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे एवं श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के बीच में 05 भागों में निजी भूमि है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के बीच में जो भूमि है वह उनके स्वामित्व की है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 03.48 हे. है तथा इस भूमि खनन् प्रस्तावित नहीं है तथा इस भूमि का उपयोग वृक्षारोपण व खनन् संबंधी अन्य सुविधाओं के लिए किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में टॉर 77010 घनमीटर के लिए जारी हुआ था तथा जनसुनवाई भी 77010 घनमीटर के लिए जुई

किंतु स्वीकृत मात्रा 77010 टन/वर्ष हेतु है एवं इसी मात्र हेतु खनन् योजना का अनुमोदन भी हुआ है तथा फार्म—2 में आवेदन किया गया । अतः अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति 77010 टन/वर्ष हेतु जारी किया जाये । समिति चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि 77010 घनमीटर/वर्ष से 77010 टन/वर्ष कम है, अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा 77010 टन/वर्ष हेतु की जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 05 के पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई पेड़ काटा नहीं जायेगा, क्योंकि यह निजी भूमि है जिसका वचन हमने फार्म—2 में दिया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम भाग से 25 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन जोड़ने के बाद कच्चे रोड़ से दूरी लगभग 32 मीटर हो जायेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जावेगा तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार इस खनन् गतिविधि में सेकेण्ड्री ब्लस्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

आवंटित खनन् क्षेत्र में उत्तर भाग से लगा हुआ एक कच्चा रास्ता है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पगडंडी है जो इनके क्षेत्र के समीप से निकल रही है। समिति ने चर्चा उपरांत यह अनुशंसा की कि इस कच्चे रास्ते से 10 मीटर का सेट—बैक छोड़ जाये तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन जोड़ने के बाद कच्चे रोड़ से दूरी लगभग 17.5 मीटर हो जायेगी । समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि इस क्षेत्र में भी सघन वृक्षारोपण किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में शेड्यूल—1 फोना हेतु संरक्षण योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण खनन् क्षेत्र में 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंक—फेंसिंग का प्रस्ताव है तथा निकट में अभ्यारण्य में वाइल्ड लाईफ हेबीटॉट डेव्हलमेंट हेतु ई.एम.पी. बजट दिया गया है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने जन सुनवाई के पूर्ण कार्यवाही विवरण ऑन लाईन अपलोड नहीं की है जिसके संदर्भ मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई बार अपलोड करते समय बेवसाईट पूरे डॉक्यमेंट स्वीकार नहीं करती है इस कारण अधूरे मिनिट्स दिखते है, किन्तु ई. आई. ए. रिर्पोट के साथ जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण संलग्न किये गये है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवेदित लीजी (श्री राणा प्रताप सिंह) की मृत्यु उपरांत उनके कानूनी वारिस श्रीमती प्रतिमा राजे राणा को लीज शेष अवधि के लिए हस्तांतरित हो गई, अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति उनको श्रीमती प्रतिभा राजे के नाम से जारी किये जाने का अनुरोध किया है जिसके संदर्भ मे समिति का मत है, कि इस संदंर्भ मे उचित निर्णय सिया द्वारा लिया जाये।

ई.आई.ए. में उपलब्ध जन सुनवाई के विवरण अनुसार जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो के रोजगार तथा स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी.. (सम्पूर्ण खनन् क्षेत्र में 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंक—फेंसिंग का प्रस्ताव तथा निकट के अभ्यारण्य में वाइल्ड लाईफ हेबीटॉट डेव्हलमेंट हेतु) योजना ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 10/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट-77,010 टन प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 43.92 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 04.36 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख :--

कं.	सीईआर गतिविधियां	राशि रू. में
1.	शासकीय प्राथमिक शाला तिगोडा में 2 बेंच व 05 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
2.	ग्राम तिगोडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	1,00,000
योग		1,25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 21,852 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख—रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	1. बैरियर जोन		3,000
	2. पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि पर	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4,000
	3. पट्टा क्षेत्र के कोने पर (प्रथम वर्ष)	and the same of th	3,000
2	गैर खनन क्षेत्र (द्वितीय वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	5642
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर्) (प्रथम वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल,	2500

	पंचायत तिगोड (प्रथम वर्ष)	महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
4	ग्राम पंचायत तिगोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (द्वितीय वर्ष)	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1710
		कुल	21,852

2. <u>Case No 7555/2020 M/s Jindal Earth Mines, R/o 55, Dashahara Maidan, Dist. Ujjain, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.460 ha. (60000 cum per annum) (Khasra No. 347), Village - Pingleshwar, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 347), Village - Pingleshwar, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 1.460 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 460वीं दिनांक 24/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. Case No 9196/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.10 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist.

Chhatarpur (MP) 2.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु सिमित के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि छतरपुर जिले के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा सेक की 567वीं बैठक दिनांक 29/4/22 में कर सिया को प्रेषित की गई थी। बाद में सिहोर जिले के रेत खनन् के प्रकरणों के एप्राइजल के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्टी में 60 प्रतिशत माईनेवल प्रोटेंशियल एरिया नदी के सम्पूर्ण भाग का दिया गया है किंतु उसको लीजवार बाईफरकेट नहीं किया गया जिसके बिना निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। इस बावत् सेक की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 के द्वारा सिया से यह अनुरोध किया गया था कि जो भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक द्वारा अनुमोदन की अनुशंसा के साथ सिया को भेजी जा चुकी है, उनमें भी यह सुधार करा लिया जाये। चर्चा उपरांत सिमित ने निर्णय लिया कि बिना इस जानकारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण नस्ती के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये।

4. Case No 9197/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि छतरपुर जिले के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा सेक की 567वीं बैठक दिनांक 29/4/22 में कर सिया को प्रेषित की गई थी। बाद में सिहोर जिले के रेत खनन् के प्रकरणों के एप्राइजल के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्टी में 60 प्रतिशत माईनेवल प्रोटेंशियल एरिया नदी के सम्पूर्ण भाग का दिया गया है किंतु उसको लीजवार बाईफरकेट नहीं किया गया जिसके बिना निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। इस बावत् सेक की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 के द्वारा सिया से यह अनुरोध किया गया था कि जो भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक द्वारा अनुमोदन की अनुशंसा के साथ सिया को भेजी जा चुकी है, उनमें भी यह सुधार करा लिया जाये।

चर्चा उपरांत समिति ने निर्णय लिया कि बिना इस जानकारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण नस्ती के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

5. Case No 9198/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु सिमित के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि छतरपुर जिले के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा सेक की 567वीं बैठक दिनांक 29/4/22 में कर सिया को प्रेषित की गई थी। बाद में सिहोर जिले के रेत खनन् के प्रकरणों के एप्राइजल के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्टी में 60 प्रतिशत माईनेवल प्रोटेंशियल एरिया नदी के सम्पूर्ण भाग का दिया गया है किंतु उसको लीजवार बाईफरकेट नहीं किया गया जिसके बिना निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। इस बावत् सेक की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 के द्वारा सिया से यह अनुरोध किया गया था कि जो भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक द्वारा अनुमोदन की अनुशंसा के साथ सिया को भेजी जा चूकी है, उनमें भी यह सुधार करा लिया जाये।

चर्चा उपरांत समिति ने निर्णय लिया कि बिना इस जानकारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण नस्ती के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

6. <u>Case No 9199/2022 Shri Hemendra Patel, Owner, Village Jhabua, Dist. Jhabua, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 0.90 ha. (9522 Cum per annum) (Khasra No. 519/1, 662/2), Village - Gadwadi and Devjhiri Panda, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 519/1, 662/2), Village - Gadwadi and Devjhiri Panda, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP) 0.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ यह प्रकरण पूर्व में प्रकरण कमांक 7446/2020 द्वारा पंजीकृत होकर सेक को परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था जिस पर समिति की बैठक कमांक 552वीं दिनांक 18/02/22 द्वारा अपनी अनुशंसायें सिया को प्रेषित की गई थी । सिया की 710वीं दिनांक 08/03/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण निरस्त किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण नवीनीकरण का है तथा नवीनीकरण के प्रकरणों में न्यूनतम् क्षेत्र 01 हेक्टेयर का नियम लागू नहीं होता है, अतः उनके द्वारा नया प्रकरण दायर किया गया है, क्योंकि पूर्व का प्रकरण (प्रकरण क्रमांक 7446 / 2020) सिया द्वारा 01 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होने के कारण निरस्त किया जा चुका है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया किया मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम—4(4) अनुसार ''उत्खनन् पट्टे के नवीनीकरण की दशा में, उत्खनन् पटटा प्रदाय किये जाने के लिए न्यूनतम् क्षेत्र के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे'' ।

समिति द्वारा संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पाया कि उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश गौण खिनज नियम, 1996 के नियम—4(4) अनुसार न्यूनतम् क्षेत्र 01 हेक्टेयर का प्रतिबंध नवीनीकरण के प्रकरणों पर लागू नहीं होता । समिति ने अनुशंसा की कि चूँकि वे इस प्रकरण (पूर्व में प्रकरण कमांक 7446/2020) पर 552वीं बैठक दिनांक 18/02/22 में अपनी अनुशंसायें पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित कर चुके है, अतः उन्हीं अनुशंसाओं को इस प्रकरण में मान्य किया जाये तथा प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये ।

7. Case No 9200/2022 Shri Shyam Singh Chouhan S/o Shri Tej Singh Chouhan, Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur, MP - 458880 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 2625), Village - Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2625), Village - Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 723 दिनांक 05/04/22 अनुसार प्रस्तावित

खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित है, इस प्रकार प्रशनाधीन खदान का मिलाकर कुल रकव 4.950 हे. होता है, अतः यह प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 315 मीटर तथा उत्तर में 500 मीटर पर मौसमी नाला है। इसी प्रकार खदान के दक्षिण—पूर्व में 500 मीटर पर, उत्तर में 770 मीटर तथा उत्तर—पश्चिम में 880 मीटर पर तालाब है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलीय निकाय के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा । लीज में कुछ पेड़ 03—04 है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से कोई पेड़ काटे नहीं जायेंगे । उत्तर दिशा से आकर पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला आ रहा है, जो दिक्षण दिशा में ही एक प्राकृतिक जल निकाय में मिल रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षेत्र (0.30 हे.) नॉन माईनिंग एरिया के रूप में छोड़ा जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- √
 नॉन माईनिंग एरिया दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ट्री—इंवेंट्री प्रस्तुत की जाये।
- 8. Case No 9204/2022 M/s Rewa Minerals and Company, Partner, Shri Akhand Pratap Singh, Ward No. 26, Near CDI Bunglaw, Pandav Nagar Saman, Tehsil Huzur, Dist. Rewa, MP 486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (18468 Cum per annum) (Khasra No. 8/2/1/2), Village Harraha, Tehsil Mauganj, Dist. Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 8/2/1/2), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1822 दिनांक 09/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रशनाधीन खदान को मिलाकर कुल रकव 4.500 है. होता है, अतः यह प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 70 मीटर दूरी पर होने के कारण किमश्नर, रीवा संभाग, रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 29/12/21 के द्वारा वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाली भूमियों को खिन रियायत को सर्व सम्मित से वन सीमा से 70 मीटर की दूरी छोड़कर एवं स्थल पर वन सीमा की ओर वृक्षारोपण करने तथा चैनलिंक फेंसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य कराये जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार की कार्यवाकी के छायाचित्र एवं मौका पंचनामा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है। इसी प्रकार खदान के पूर्व क्षेत्र में 22 मीटर दूरी पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी होने के कारण वे ब्लास्टिंग नहीं करेंगे तथा रॉक ब्रेकर का उपयोग कर खनन् करेंगे अतः आबादी से 80 मीटर का सेट—बैक प्रस्तावित किया गया है तथा दक्षिण दिशा से पक्के रोड़ के कारण 10 मीटर का सेट—बैक छोड़ जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र के किस भाग 70 मीटर वन सीमा से दूर है, बताने में असमर्थ रहे, अतः समिति ने निर्देशित किया कि नक्शें में वन सीमा दिखाते हुए उचित सेट—बैक प्रस्तुत करें साथ ही यह भी बतायें कि खनन् हेतु सेट—बैक छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा क्या वह वांछित उत्पादन हेतु पर्याप्त होगा।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :--

- √ खदान के पूर्व क्षेत्र में 22 मीटर दूरी पर आबादी है, अतः आबादी से 80 मीटर का सेट—बैक
 छोड़ते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि आबादी होने के कारण वे ब्लास्टिंग नहीं करेंगे तथा रॉक ब्रेकर का उपयोग कर खनन् करेंगे ।
- ✓ प्रस्तावक खनन् क्षेत्र के किस भाग 70 मीटर वन सीमा से दूर है, को नक्शें में वन सीमा दिखाते हुए उचित सेट—बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।
- √ वन सीमा एवं खनन् हेतु उपरोक्तानुसार सेट—बैक छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा क्या वह वांछित उत्पादन हेतु पर्याप्त होगा की जानकारी ।

9. Case No 9205/2022 Shri Madhusudan Patidar, Richhalamuha, Tehsil - Dalouda, Dist. Mandsaur, MP - 458002, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (42180 Cum per annum) (Khasra No. 113), Village - Arniyagurjar, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 113), Village - Arniyagurjar, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 2489 दिनांक 03/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 200 मीटर पर रोड़ है तथा उसी दिशा में 250 मीटर पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र में पश्चिम भाग में एक खदान स्थित है, जो पुरानी गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2018 से संचालित लग रही है किंतु खनिज अधिकारी ने 500 मीटर में कोई खदान न होना लिखा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पश्चिम दिशा में एक खदान गूगल इमेज में दिखाई दे रही है, वह अस्थाई अनुज्ञा पर थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :--

- ✓ पश्चिम दिशा में एक खदान गूगल इमेज में खुदी हुई दिखाई दे रही है, पर खिनज अधिकारी ने 500 मीटर में कोई खदान न होने की जानकारी दी है अतः सेक द्वारा खिनज अधिकारी का इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये ।
- √ सिमिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

10. Case No 9206/2022 Shri Amol Singh Ahirwar Prop. Village - Chanari, Post - Atta, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar, MP - 470441, Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 162/3, 162/4), Village - Chanari, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar (MP)

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 162/3, 162/4), Village - Chanari, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 754 दिनांक 22/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर 05.00 है. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

वन मण्डलाधिकारी के पत्र अनुसार 135 मीटर की दूरी पर वन सीमा है, अतः लीज हेतु आपित ली गई थी । तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित सिनित के समक्ष प्रस्तुत किया गया । संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित सिनित की बैठक दिनांक 04/02/22 का कार्यवाही विवरण के प्रकरण कमांक—2 ''सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक आवेदित क्षेत्र ग्राम चनारी तहसील मालथौन जिला सागर के शासकीय भूमि खसरा नं0 162/3, 162/4, में रकबा 1.00 है. क्षेत्र पर उत्खनन् पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है । आवेदक वन सीमा की ओर, स्वीकृत क्षेत्र पर वन मण्डाधिकारी के निर्देशन में तार फेंसिंग करेंगा । उत्खनन् पट्टाधाारी वन भूमि के अंदर ओव्हर बर्डन नहीं डालेगा, स्वीकृत लीज में ही ओव्हर बर्डन डालेगा एवं वन भूमि से आवागमन नहीं करेगा । आवेदक स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभाग के अमले की उपस्थिति में सीमांकन कराकर सीमेंटेड कंकीट के पक्के मुनारे बनायेगा एवं खदान स्वीकृति से संबंधित खदान विवरणी बोर्ड स्थापित करेगा । स्वीकृत क्षेत्र में वन सीमा की ओर सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगवायेगा एवं कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग रखेगा । अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कार्य किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण—पूर्व दिशा में 180 मीटर पर रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लैग स्टोन का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के उत्तरी भाग में पुरानी गूगल इमेज अनुसार मार्च, 2020 से खनन् कार्य किया गया है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेरी खदान से लगी हुई

खदान मालिक द्वारा गलती से मेरे खदान क्षेत्र में खुदाई कर ली गई तथा हमने इसे सरफेस में भी दिखाया गया है। श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम चनारी तहसील मालथौन जिला सागर द्वारा समिति को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र दिनांक 07/3/19 द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर में अन्य 04 खदानों की जानकारी देते हुए प्रकरण को बी—1 में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया जबिक कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 754 दिनांक 22/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है । अतः इस संबंध में खनिज अधिकारी, जिला सागर से सेक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √
 सिमित द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

11. Case No 9178/2022 Shri Sudeep Singh Thakur, Village - Dhuradakala, Tehsil - Jawar, Dist. Sehore, MP - 466221 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10260 Cum per annum) (Khasra No. 145/1), Village - Dhuradakala Tehsil - Jawar, Dist. Sehore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 145/1), Village - Dhuradakala Tehsil - Jawar, Dist. Sehore (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 10/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 762 दिनांक 01/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है,

इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ है । खदान के पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर आबादी है तथा दिक्षण दिशा में भी 120 मीटर पर आबादी है अतः दिक्षण दिशा में 80 मीटर का सेट—बैक छोड़ना होगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में 80 मीटर का सेट—बैक पूर्व से ही प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा सेट—बैक छोड़ने के बाद लगभग 1.00 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 10/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—10,260 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू 08.76 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.49 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.01.35 लाख :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ऑगनवाड़ी ग्राम धूरदा की छत की रिपेयरिंग, स्कूल भवन तथा ऑगनवाड़ी भवन की पुताई	1,35,000
एवं मास्क / सेनेटाइजर का विवरण ।	
योग	1,35,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
स्थान		(संख्या में)
बैरियर जोन (प्रथम वर्ष)	नीम, पीपल, सिरसु, बरगद, चिरोल, खमेर एवं अन्य	1500
	स्थानीय प्रजातियाँ।	

परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)(प्रथम वर्ष)	नीम, करंज, आम, सिस्सु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
ग्रम वासियों मे वितरण हेतु (प्रथम वर्ष)	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
	योग	2400

12.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बड़वानी (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 606 दिनांक 27/05/22 के माध्यम से बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है कि जिला कलेक्टर, बड़वानी के पत्र दिनांक 18/4/22 को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अविध हेतु अपलोड किया गया। इसके उपरांत गठित समिति की उपस्थित अधिकारीगण द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित किया गया। तद्उपरांत उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पत्र क्रमांक 352 दिनांक 26/05/22 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया कार्यालय के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 30/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10 / 06 / 22 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बड़वानी की ओर से सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि:—

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- तालिका—3 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित अधिसूचना के अनुसार रेत की खदानों लीज अवधि को नहीं दर्शाया गया है ।
- तालिका-4 में लीज खदानों के अक्षांश-देशांश नहीं दिये गये है ।
- तालिका—21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र में percentage area drained in the district की जानकारी नहीं दी गई है।
- तालिका—23 एवं 24 में प्री—मानसून एवं पोस्ट—मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है ।
- तालिका—23 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट अनुसार percentage area drained in the district की जानकारी नहीं दी गई है ।

- बिंदु क्रमांक—30 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बड़वानी जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु संचालित खदानों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये तािक पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए─4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए─3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ / घिड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

13.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला खरगौन (म.प्र.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 602 दिनांक 27/05/22 के माध्यम से खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा खरगौन के पत्र क्रमांक 7676 दिनांक 27/5/22 के माध्यम से सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया । उक्त अवधि की जिला के सवेक्षण रिपोर्ट में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतएव गिटत सिमित द्वारा आवश्यक संशोधन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7661 दिनांक 24/05/22 को कलेक्टर महोदय से अनुशंसा सिहत सदस्य सचिव, सिया/सेक को भेजी गई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के सदस्यों को दिनांक 02/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन सिमित की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, खरगौन की ओर से श्री सावन चौहान, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :—

- जिला सवेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 14 एवं 15 में दी गई रेत खदानों की सूची में खसरा नं. एवं क्षेत्रफल की जानकारी नहीं दी गई है ।
- जिला सवेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 27 की तालिका—6 में तीन वर्ष 2019—20, 2020—21 एवं 2021—22 में रेत की मात्र अलग—अलग दर्शाई गई जबिक उन्हीं वर्षो में रॉयल्टी ∕ राजस्व प्राप्ति की राशि (रू. 17,28,00000) बराबर है, स्थिति स्पष्ट करें ।
- न तालिका—11 एवं 12 में प्री—मानसून एवं पोस्ट—मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है।
- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- ▶ बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले में हिरत क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।
- > इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टी में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ /घिड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

14.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला दमोह (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक 341 दिनांक 17/5/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला दमोह सीघे सेक को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि सिया को दी गई थी जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिपोर्ट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अविध हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन दिनांक 18/04/22 को किया गया। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

के सदस्यों को दिनांक 01/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय (खनिज शाखा) जिला दमोह म.प्र. ने पत्र क्रमांक—229 दिनांक 18/04/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, दमोह की ओर से श्री मेजर सिंह जावरा, प्रभारी खनिज अधिकारी एवं श्री सत्यम सिंह परिहार ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि:—

- ▶ तालिका क्रमांक—2 में जिला का मिनरल उत्पादन दर्शाया गया है, जिसमें स्टोन का उत्पादन
 शून्य बताया गया है जबिक तालिका क्रमांक—5 एवं फिगर—3 अनुसार जिले में कई स्टोन खदानें
 कार्यरत है, स्पष्ट करें ।
- तालिका—11 में कॉलम—5 में नक्शा के अंतर्गत दी गई जानकारी अस्पष्ट है एवं रेत खदानों की गहराई का उल्लेख नहीं है ।
- न तालिका—11 एवं 12 में प्री—मानसून एवं पोस्ट—मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है।
- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। बिंदु कमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टी में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि

समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।

- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ /घिड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यिद कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

15.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला जबलपुर (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 648 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है कि जिला कलेक्टर, जबलपुर के उप संभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर एसईएसी समिति के परीक्षण एवं सिया कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 02/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10 / 06 / 22 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, जबलपुर की ओर से श्री अभिषेक पटले, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि:—

🕨 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा

- जारी अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- प्राप्त डी.एस.आर. से यह स्पष्ट नहीं होता कि इसको 21 दिवस हेतु जिला पोर्टल पर अपलोड़ किया गया है अथवा नहीं एवं इसका अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है अथवा नहीं । अतः उक्त जानकारी का समावेश किया जाना आवश्यक है।
- तालिका—22 जिमसें रेत का ब्लॉकवार एग्रेडेशन एवं डिग्रेनेशन की जानकारी दी गई है, में
 पनागर ब्लॉक की जानकारी नहीं दी गई है ।
- नालिका—23 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट अनुसार percentage area drained in the district की जानकारी नहीं दी गई है।
- 🕨 तालिका-24 में गौर नदी एवं छोटी महानदी (सब वेसिन) की जानकारी नहीं दी गई हैं ।
- इसी प्रकार तालिका—19 एवं 20 में प्री─मानसून एवं पोस्ट─मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है । तालिका के बिंदु क्रमांक—2 में अनुमानित रेत की मात्रा में 4 गुना से लेकर 9 गुना की वृद्धि दर्शाई गई है जैसे : 9072 से 36,414 घनमीटर एवं 9217 से 60,000 घनमीटर जबिक बिंदु क्रमांक—13 में रेत की मात्रा कम हो गई है जैसे : 4575 से 3960 । उक्त ऑकड़ों को स्पष्ट करते हुए मात्रा कैसे अर्जित होगी, स्पष्ट करें ।
- > इसी प्रकार तालिका—21 प्री—मानसून एवं पोस्ट—मानसून का तुलनात्मक विवरण का पुनरीक्षित करना आवश्यक है ।
- जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है अथवा नहीं तथा इसको आमजन की सूचना हेतु 21 दिन तक जिला पोर्टल धार पर उपलब्ध कराय गया था एवं इस दौरान कोई अभी दावा / आपत्ति प्राप्त नहीं हुए संबंधी विवरण उपलब्ध कराया जाये।
- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जबलपुर जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है । परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए-4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए-3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure-'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

- side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
- h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
- i. Minable Potential of sand mine.
- j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action
- 38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतू निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	बनाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पित्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - 1. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।]	

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पित्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.